	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
/2/18	वकुलाय उपस्थित। हेतु आदेश दिनांक 16.11.17 की पालना में पत्रावली वास्ते 25 (R) दिनांक 22/3/18 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	
22/3/18	वकुलाय फरीकेन उप०/P.O. बाबत अवलोकन/निरीक्षण पत्रावली दिनांक 31.5.18 को पेश हो।	
1/5/18	पत्रावली कैम्प कोर्ट में पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। वकील प्रार्थी की ओर से जवाब दर० 09 R7 CPC पेश किया। बहस दर० सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस दर० पर मनन किया गया। प्रार्थी/प्रति० द्वारा प्रा०पत्र 09 R7 पर देरी से पेश किया गया है। प्रा०पत्र 09 R7 CPC खारिज किया जाता है। बहस दर० 212 RTA सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रा०पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर दिनांक 6.2.2009 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को ता फैसला स्थाई (Confirm) किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर आ० किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर मिसल [illegible] हो सुनाया। उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	

Scanned by CamScanner

ालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर जिला अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी श्री कनिष्क सैनी आर ए एस

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 2/88/13

बउनवान

1. सीताराम पुत्र प्रभू जाति नाई निवासी अरूंवा
2. पीतम पुत्र प्रभू जाति नाई निवासी अरूंवा

तहसील कठूमर जिला अलवर

---- सायलान

बनाम

1. पप्पू पुत्र मुथरी जाति नाई निवासी गारू तहसील कठूमर
2. उप पंजीयक कठूमर

गैरसायलान

दर0 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित :

श्री राधाबल्लभ शर्मा ':– अधिवक्ता सायलान

आदेश

दिनांक 31.05.2018

प्रार्थीयान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि आराजी खसरा नम्बरान 941, 939, 940, 942, 948, 949, 950, 951, 937, 938 वाके ग्राम अरूंवा तहसील कठूमर में स्थित है। प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 2 में सायलान ने परिवार का सजरा अंकित किया है। उपरोकत विवादित आराजी का 1/3 हिस्सा खैराती की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है जो खैराती फौत हो जाने पर उसके वारिस पुत्र पुत्री प्रभू पूरन गुलकन्दी, टुण्डी मुथरी को वहिस्सा बराबर यानि प्रत्येक को 1/15 हिस्सा विरासत में मिली थी मां बा पके मरने पर उसकी जायदाद उसके पुत्र पुत्रियों को विरासत में प्राप्त होती है। कानूनन नाना मामा की जायदाद उनके नमासे

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

Scanned by CamScanner

नवासी के लडके व भानजे को नहीं मिलती। मृतक पुत्री के वारिस उसके भाई भतीजे होते है ना कि मृतक पुत्री की संतान पुत्र पुत्री। अतः विवादित आराजी में टुण्डी मुथरी गुलकन्दी का 1/5 हिस्सा उनके फौत हो जाने पर उनके पुत्र गैरसायल संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 2 ला0 7 को विरासत में प्राप्त कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। उपरोक्त विवादित आराजी सायलान के दादा खैराती की आराजी है। गैरसायल संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 2 ला0 7 खैराती के नवासे नवासे के पुत्र तथा सायलान के वूआ के पुत्र पुत्र के पुत्र है। टुण्डी मुथरी गुलकन्दी मृतक खैराती के हिन्दु परिवार के सदस्य नहीं थी बल्कि इनके अलग अलग परिवार ग्राम गारू अलबन्दा का नगला प्रतापगढ में था। इस कारण विवादित आराजी के 2/15 हिस्सा वावत मुथरी का विरासत इन्तकाल संख्या 412 उसके पुत्र गैरसायल संख्या 1 पप्पू के नाम व गुलकन्दी का विरासत इन्तकाल संख्या 387 उनके पुत्र व प्रतिवादी संख्या 6–7 के पिता धनश्याम के नाम खिलाफ कानून खिलाफ मौका सायलान को विना सुने विना वुलाये तस्दीक हुये है। जो इन्तकाल व इन्तकालों के आधार पर गैरसायल संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 6–7 के नाम आये खातेदारी के इन्द्राजात हक हकूक सायलान प्रारम्भ से ही शून्य व गलत है। सायलान विवादित आराजी पर अपने 1/6 हिस्से पर काविज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। गैरसायल ने सायलान को एलानियां धमकी दी है कि मैं तुम्हें विवादित आराजी पर तुम्हारे हिस्से पर शांति पूर्वक काश्त नहीं करने दूँगा जवरन वेदख़ल कर स्वंय कब्जा करूँगा या फिर विवादित आराजी को गैरसायल संख्या 2 से मिलकर दीगर लोगो को रहन वय हिवा आदि द्वारा मुन्तकिल कर दूँगा। जवकि गैरसायलान को ऐसा करने का कोई हक वो अधिकार नहीं है यदि गैरसायल अपने नापाक ईरादों में कामयााव हो गया तो सायलान को अपार हानि क्षति व असुविधा होगी। अतः सायलान ने प्रार्थना पत्र स्वीकार कर गैरसायलान को दावा के निस्तारण तक विवादित आराजी वाके ग्राम अर्रूवा के 1/10 हिस्सा के कब्जे काश्त में किसी तरह की रूकावट व मजाहमत पैदा

अधिकारी
(अलवर)

Scanned by CamScanner

ना करने जवरन वेदखल कर खुद कब्जा ना करने व दीगर लोगों को रहन वय ना करने हेतु पाबन्द करने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलव किया गया। गैरसायल सं0 1 बाबजूद तामील उपस्थित नहीं आया जिसके विरूद्व दिनांक 20.03.2009 को एकपक्षिय कार्यवाही अमल में लाई गई। गैरसायल सं0 2 स्वंय उपस्थित आया। गैरसायल संख्या 2 को वार वार जवाव पेश करने का अवसर दिया लेकिन जवाव पेश नहीं किया।

सायलान ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में जमाबन्दी संवत् 2035, इन्तकाल संख्या 87, जमाबन्दी संवत् 2048, इन्तकाल संख्या 387, 412 नकल जमाबन्दी हाल वाके ग्राम अर्रूवा की छाया प्रति पेश की है। जो शामिल पत्रावली है।

वहस सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्ता सायलान ने अपनी वहस में अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते प्रार्थना पत्र स्वीकार कर गैरसायलान को ता फेसला दावा स्थगन आदेश से पाबन्द करने का निवेदन किया है।

हमने पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेंकार्ड का अवलोकन किया तथा विद्वान अधिवक्ता सायलान की एकपक्षिय वहस पर मनन किया। सायलान को अपने प्रार्थना पत्र को सावित करने के लिये निम्न विन्दुंओं को अपने पक्ष में सावित कराना है :–

1. प्रथम दृष्टा केस
2. सुविधा का सन्तुलन
3. ना पूर्ति होने वाली क्षति

हमने पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता सायलान की एकपक्षिय वहस वहस पर मनन किया। सायलान ने विवादित आराजी वावत घोषणात्मक का दावा पेश किया है जिसमें साक्ष्य सवूत आने पर सायलान के अधिकार तय किये जायेगें। जमाबन्दी हाल

उप-खण्ड अधिकारी
कोटपूतली (अलवर)

Scanned by CamScanner

में विवादित आराजी गैरसायल संख्या 1 पप्पू के 1/15 हिस्सा की खातेदारी में दर्ज है। यदि गैरसायल को पाबन्द नहीं किया गया तो गैरसायल विवादित आराजी को रहन वय कर सकता है जिससे सायलान को नुकशान क्षति व असुविधा हो सकती है। विवादित आराजी का मूल स्वरूप बनाये रखना न्यायोचित प्रतीत होता है। गैरसायल वावजूद तामील उपस्थित नहीं आया और ना अपनी ओर से कोई उज्र व एतराज पेश किये। गैरसायल को पाबन्द किये जाने से उसे किसी तरह का नुकशान क्षति व असुविधा होती हो इस तरह की स्थिति अदालत के समक्ष नहीं है। प्रथम दृष्टा केस सुविधा का सन्तुलन एंव ना पूर्ति होने वाली क्षति तीनों विन्दु सायलान के पक्ष में प्रबल है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर गैरसायलान को दावा के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वो आराजी खसरा नम्बर 941, 939, 940, 942, 948, 949, 950, 951, 937, 938 वाके ग्राम अरूवा तहसील कठूमर में सायलान के कब्जे काश्त में बाधा पैदा ना करें वेदखल ना करे रहन वय ना करें तथा रेकार्ड एंव मौका की यथास्थिति बनाये रखें। राजस्व रेकार्ड में किसी तरह का परिवर्तन ना करें। पत्रावली फैसल सुमार होकर मूल वाद के साथ संलग्न हो।

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

कनिष्क सैनी
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

आज दिनांक 31.05.2018 को यह निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

Scanned by CamScanner